उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ 226001
CIN: U32201UP1999SGC024928
फोन नं0 0522-2218421/2287880/2218411

संख्या:-2281-आ0प्र0-07/पा0का0लि0/17-64-आ0प्र0-07/16 — दिनांक 28/07/2017

स्पीड पोस्ट

CHANDRA PRAKASH MAURYA (ROLL NO- 2214145661) (OBC-NC)
S/o BALAK RAM
MOH MAHADEV PURAM,
BAHERI, BAREILLY,
UTTAR PRADESH- 243201

विषय :- <u>सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उक्त विषय में मुझे यह सहर्ष कहने का निदेश है कि विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-09-विसेआ/2016/Sanctioned/ए0ई0 द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्ति हेतु आपका चयन सलग्न सेवा शर्तो के अधीन किया गया है।

2. आपका सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल) के रूप में प्रशिक्षण महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ होगा, जिसकी सूचना संस्थान द्वारा आपको अलग से दी जायेगी।

3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1915-पे0 एवं आर0-28/पाकालि/02-8-काविनी/2001, दिनांक 06.06.2003 में उल्लिखित अधिकारी/कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान आप पर लागू होंगे।

4. कार्यभार ग्रहण करने के समय आपको अपने पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने है :-

(1) **<u>प्रमाणपत्र</u>**

(अ) पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति।

(ब) अन्तिम विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की हो, के प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल-चलन एवं चरित्र का प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र)

(स) दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी, जो आपके सम्बन्धी न हों) से प्राप्त "चरित्र प्रमाण पत्र"। (दोनों आपसे भली-भांति परिचित हों एवं आपके विश्वविद्यालय, विद्यालय अथवा स्कूल से सम्बन्धित भी न हो।

(द) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ध) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त "कार्यमुक्ति पत्र", यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। "कार्यमुक्ति पत्र" के अभाव मे आपको किसी भी दशा में कार्य भार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।